अध्याय VII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना

7.1 यातायात भत्ते का अधिक भुगतान

उच्च प्रशासनिक ग्रेड (उ.प्र.ग्रे.) वेतनमान में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टरों को केन्द्र सरकार विभागों के संयुक्त सचिवों के स्तर के अधिकारियों के साथ सममूल्य पर ₹7000 प्रतिमाह की दर पर यातायात भत्ते का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के नियमावली में वह प्रतिमाह केवल ₹3200 के यात्रा भत्ते के लिए हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमों के गलत उपयोग के कारण नवम्बर 2008 एवं मार्च 2014 के बीच डॉक्टरों को ₹5.74 करोड़ के यातायात भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) में छठे वेतन आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर यातायात भत्ते की दरें निर्धारित की थीं। इसके अनुसार, ₹5400 और इससे अधिक ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते की दर ₹3200 में उस पर महंगाई भत्ता (म.भ.) जोड़कर निर्धारित की गई थी (अगस्त 2008)। इसके अतिरिक्त, का.ज्ञा.के पैरा 3 के अनुसार, ₹10,000 एवं ₹12,000 के ग्रेड वेतन तथा उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ वेतनमान वाले अधिकारी जोकि जनवरी 1994 के का.ज्ञा के नियमों के अनुसार सरकारी गाड़ी का उपयोग करने के लिए हकदार हैं, उनके पास मौजूदा सुविधा का लाभ उठाने या ₹7,000 प्रतिमाह की दर पर यात्रा भत्ते सहित उस पर दिए गए महंगाई भत्ता लेने का विकल्प हैं।

इसके अतिरिक्त, स्टाफ गाड़ी नियमावली के नियम 8 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय सं. 2 के अनुसार, संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी जिन्हे मंत्रालय के 1994 के पूर्वोक्त का.ज्ञा. के अंतर्गत कार्यालय एवं घर के बीच यात्रा करने के लिए स्टाफ गाड़ी की सुविधा दी गई है उन्हें

विकल्प दिया जाए कि या तो वर्तमान सुविधा का स्वयं उपयोग करें या फिर इन आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते का भुगतान लें।

2008-09 से 2013-14 की अवधि हेतु ₹10,000 का ग्रेड वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के विभिन्न क्षेत्रों के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (के.स्वा.से.) के डॉक्टरों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि प्रतिमाह ₹7,000 की दर पर यात्रा भत्ते के सहित उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें किया जा रहा था। नवम्बर 2008 से मार्च 2014 के दौरान, इन दरों पर कुल ₹10.58 करोड़ का यात्रा भत्ते का भुगतान डॉक्टरों को किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर नहीं थे तथा वह स्टाफ की गाड़ी की सुविधा के हकदार नहीं थे और इसलिए वह केवल ₹3200 (म.भ. सहित) की दर पर यात्रा भत्ते के भुगतान के हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमावली की गलत व्याख्या के कारण डॉक्टरों को ₹5.74[1] करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जैसा कि **अनुबंध-IX** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्टीकरण हेतु मामले को वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया था (अगस्त 2014)। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2014) कि के.स.स्वा.यो. के डॉक्टर पूर्वोक्त का.ज्ञा. के अनुसार ₹7,000 प्रतिमाह की दर पर यात्रा भत्ते के आहरण हेतु हकदार नहीं थे, चाहे वह प्रतिमाह ₹10,000 के ग्रेड वेतन के साथ वेतन का आहरण कर रहे हो।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्थापित करता है। यह सिफारिश की जाती है कि डॉक्टरों को किए गए ₹5.74 करोड़ के यात्रा भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली की जाए।

[1] आहरित राशि ₹10.58 करोड़, देय राशि ₹4.84 करोड़, आधिक्य ₹5.74 करोड़

मार्च 2015 में मंत्रालय के समक्ष मामले को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी

7.2 यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी ने भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में अपने अधिकारियों को ऊंची दर पर यात्रा भत्ते का भुगतान किया था जिसके कारण ₹3.51 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ था।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209(6)(iv)(क) के अनुसार "सभी अनुदेयी संगठन या संस्थाएं जो सहायता अनुदान के रूप में अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, उन्हे सामान्यत: अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तें निर्धारित करनी चाहिए जोकि सामान्यत: कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की इसी तरह की श्रेणियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से ऊपर न हो।" ऐसा ही एक संगठन होते हुए जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (ज.स्ना.चि.शि.अ.सं.), पुदुचेरी ने 2008 के अपने विनियमन 43 के माध्यम से उस नियमावली को अपनाया जोकि सेवा, वेतन, यात्रा भत्ता सहित भत्ते, अवकाश वेतन, कार्यग्रहण समय, विदेश सेवा शर्तें, आदि की सामान्य परिस्थितियों के संबंध में केन्द्र सरकार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने अगस्त 2008 में आदेश जारी किए कि ₹10,000 एवं ₹12,000 का ग्रेड वेतन (ग्रे.वे.) लेने वाले अधिकारी और वह जो उ.प्र.ग्रे + वेतनमान में है, जो दिनांक 28.01.1994 के का.ज्ञा.सं. 20(5) ई 11 ए/93 के अनुसार कार्यालय की गाड़ी के उपयोग हेतु हकदार हैं, उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वह निवास से कार्यालय और कार्यालय से निवास तक जाने के लिए स्टाफ की गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं या 1 सितम्बर 2008

से प्रभावी प्रतिमाह ₹7,000 प्रतिमाह के यात्रा भत्ते सहित उस पर महंगाई भत्ता आहरित कर सकते हैं।

तदनुसार, ज.स्ना.चि.शि.अ.सं. के निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक केवल दो अधिकारी हैं जो स्टाफ की गाड़ी के हकदार हैं। हालांकि, ₹10,000 और ₹10,500 के शैक्षिक ग्रेड वेतन (शै.ग्रे.वे.) आहरित करने वाले अधिकारी जो दिनांक 28.01.1994 के का.ज्ञा. के अनुसार कार्यालय की गाड़ी के उपयोग हेतु हकदार नहीं है उन्हें प्रतिमाह ₹1,600 के पात्र यात्रा भत्ते (पुदुचेरी के लिए लागू) के प्रति प्रतिमाह ₹7,000 के यात्रा भत्ते सहित उस पर म.भ. का भुगतान किया जाता है।

इस प्रकार, गैर-हकदार अधिकारियों को म.भ. सहित प्रतिमाह ₹7000 के यात्रा भत्ते के भुगतान का परिणाम सितम्बर 2008 से नवम्बर 2014 तक ₹3.51 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ था जिसका विवरण **अनुबंध-X** में दिया गया है।

ज.स्ना.चि.शि.अ. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि दिसम्बर 2014 से प्रतिमाह ₹7000 के या.भ. के भुगतान को बंद कर दिया गया है तथा अतिरिक्त भुगतान की वसूली के साधनों पर कार्य किया जा रहा है तथा वसूली हेतु आदेशों को अलग से जारी किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी संस्थान के उत्तर की पुष्टि की है (जनवरी 2015)।

सफदरजंग अस्पताल

7.3 वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹ 1.68 करोड़ का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल ने गलत तरीके से अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण किया था जिसके कारण अगस्त 2014 तक ₹1.68 करोड़ के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर अस्पताल ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)।

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2008, (के.सि.से-सं.वे.) के अनुसार 1 जनवरी, 2006 (संशोधित वेतन संरचना के अनुसार) से सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन का निर्धारण 01.01.2006 को उस समय के मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके परिणामी आंकड़े को 10[2] के अगले गुणक तक पूर्णांकित करना है।

इसके अतिरिक्त, छठे के.वे.आ. की अनुशंसाओं के कारण पदों में हुए उन्नयन के मामलों में, पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारण तालिका को वेतन बैंड में वेतन के निर्धारण के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। निर्धारित वेतन बैंड में वेतन में वृद्धि हुए पद के अनुरूप ग्रेड वेतन शामिल किया जाएगा। छठे के.वे.आ. अनुशंसा[3] के परिणामस्वरूप जिस सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि हुई है, यह उसका संशोधित वेतन होगा। उसी की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केन्द्र सरकार अस्पतालों को निर्देश दिया (फरवरी 2009) कि वह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कार्मिकों का वेतन एवं भुगतान का निर्धारण किया जाए।

के.सि.से. (सं.वे.) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची भाग-'ख' के नीचे दिए गए अनुच्छेद 1 के अनुसार, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ वेतनमान में वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, के.सि.से. (सं.वे.) नियमावली, 2008 की प्रथम सूची भाग-'क' के नीचे दिए गए अनुच्छेद II के अनुसार, 01.01.2006 को या उसके बाद में नियुक्त सीधी भर्तियों हेतु संशोधित वेतन संरचना में शुरूआती वेतन को संबंधित वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा तथा इसे नीचे दिया गया है:

---

[2] के.सि.से (सं.वे.) नियमावली, 2008 का नियम 7(1)

[3] के.सि.से (सं.वे) नियमावली, 2008 के नियम 7 के नीचे दिए गए नोट 2 क के प्रति स्पष्टीकरण

(राशि ₹ में)

मौजूदा स्टाफ हेतु (01.01.2006 को या उससे पूर्व)					सीधी भर्तियों हेतु (01.01.2006 को या उसके बाद)		
पद	पूर्व संशोधित स्केल	संशोधित वेतन स्केल	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	कुल
स्टाफ नर्स	5000-8000	7450-11500	वे.बैं.-2 (9300-34800)	4600	12540 में वे.बैं.-2 (9300-34800)	4600	17140
नर्सिंग सिस्टर	5500-9000	7500-12000	वे.बैं.-2 (9300-34800)	4800	13350 में वे.बैं.-2 (9300-34800)	4800	18150

सफदरजंग अस्पताल के 172 स्टाफ नर्सों एवं नर्सिंग सिस्टरों की सेवा पंजिका की नमूना जांच से पता चला कि के.सि.से (संशोधित वेतन) के अंतर्गत उनका वेतन निर्धारण गलत रूप से किया गया था। मौजूदा स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर के वेतन निर्धारण हेतु 01.01.2006 को उस समय के मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करना तथा परिणामी आंकड़े को 10 के अगले गुणक तक पूर्णांक करना आवश्यक था। इसकी बजाय, स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर का वेतन क्रमश: ₹12,540 तथा ₹13,350 पर सीधी भर्तियों के शुरूआती वेतन के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसके कारण जनवरी 2006 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 172 स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर को ₹1.68 करोड़ (मकान किराया भत्ता छोड़कर) की राशि के वेतन का अधिक भुगतान हुआ था (**अनुबंध-XI** में दिए गए विवरणों के अनुसार)।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि उसने स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मामला भेजा है। इसी दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)। अस्पताल द्वारा की गई शोधक कार्रवाई लेखापरीक्षा दृष्टि की पुष्टि करती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

7.4 विवेकाधीन वेतन वृद्धि एवं कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपने 18 कर्मचारियों की अनियमित रूप से वेतनमानों में वृद्धि का तथा वेतन निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹91.57 लाख के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ। .

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार, परिषद केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की पूर्व संस्वीकृति से परिषद के कर्माचारियों की सेवा की शर्तो का निर्धारण करेगा। वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन (अक्तूबर 1984) के अनुसार पद के सृजन, वेतन एवं भत्तों में संशोधन तथा स्वायत्त निकायों के उसी प्रकार के स्थापना व्यय केन्द्र सरकार के सामान्य प्रतिमान के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, इस मानक से किसी प्रकार के विचलन के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (परिषद) सेवा पंजिकाओं एवं संबधित अभिलेखों की नमूना जांच ने छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात 18 मामलों में अपने कर्मचारियों के वेतन के गलत निर्धारण एवं पदो के अनियमित संवर्धन को दर्शाया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क. प्रत्येक कर्मचारी के वेतन मान का अनियमित संवर्धन

नमूना जांच से छः मामलो[4] में प्रत्येक कर्माचारी के वेतनमानों के अनियमित संवर्धन का पता चला (**अनुबंध-XII** में दिए गए विवरणों के अनुसार)। ऐसा संवर्धन भारत सरकार से अनुमति लिए बिना केवल परिषद की कार्यकारी समिति/प्रशासन द्वारा संस्वीकृत किया गया था। यह भी देखा गया था कि अन्य उसी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे लाभ नहीं दिए गए थे।

---

[4] सुश्री प्रेमलता, श्री अनिल कुमार अहलूवालिया, श्री अनुपम दुआ, श्री वी.के. अग्रवाल, सुश्री महेश्वरी एवं सुश्री अतुला के माथुर

उत्तर में, परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि अपने अक्तूबर 1994 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने इस शर्त के साथ कि परिषद को सरकार के अनुदानों की आवश्यकता नहीं है तथा अपने संसाधनों से अपना व्यय करेंगे, परिषद ने अपने स्टाफ के वेतन मान के संशोधन तथा पदों के सृजन हेतु परिषद को शक्तियां प्रदान की है। उसने आगे बताया कि परिषद के भर्ती नियमों के अनुसार, ये पद पृथक एकल पद है तथा इनमें आगे पदोन्नति नहीं है, तदनुसार, परिषद ने अपने स्टाफ के वेतन में संवर्धन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) के मई 1998 के आदेश अपनाए थे।

परिषद का यह तर्क कि यह पद सिंगल आइसोलेटिड पद है और इनमें आगे पदोन्नत्तियां नहीं है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद ने उस संवर्ग में सभी कर्माचारियों के वेतनमान में संवर्धन नहीं किया था परंतु केवल चुनिंदा कर्माचारियों को संवर्धन दिया गया था। वैसे सरकारी आदेश विवेकाधीन वित्तीय संवर्धन का समर्थन नहीं करता था। यह भी देखा गया था कि परिषद भारत सरकार से अनुदानों को प्राप्त कर रहा था।

ख. सहायकों एवं निजी सहायकों के वेतन का गलत निर्धारण

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के नवम्बर 2009 के का.ज्ञा. के अनुसार 1 जनवरी 2006 को जो पद ₹6500-10500 के पूर्व-संशोधित मान में थी तथा जिन्हें वे.बै. 2 के वेतन मान में ₹4200 के ग्रेड वेतन वाली वेतन संरचना प्रदान की गई थी उन्हे 1 जनवरी 2006 से प्रभावी ₹7450-11500 के पूर्व-संशोधित मान के अनुसार वे.बै.2 के वेतनमान में ₹4600 का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाना था। दिसम्बर 2010 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सलाह से का.प्र.वि. द्वारा बाद में स्पष्टीकरण जारी किया गया था जैसा नीचे प्रदान किया गया है:

(क) **1.1.2006 को सहायकों के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी**: ₹5500-10500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में वेतन

का निर्धारण किया जाएगा तथा उन्हे ₹4600 का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा। इस मामले में बंचिंग का लाभ स्वीकार्य नहीं है।

(ख) **1.1.2006 को सहायकों के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी जिन्हे ₹6500-10500 के मान के संदर्भ में 15.9.06 से प्रभावी वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रदान किया गया है**: ₹6500-10500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में वेतन को निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, वह 1.1.2006 से विकल्प की तिथि तक वेतन के बकाया के लिए हकदार नही होगे।

(ग) **1.1.2006 एवं 31.8.2008 के बीच सहायक/नि.स. के रूप में पदोन्नत किए गए अधिकारी**: उनके पास निम्न पद अर्थात अ.श्रे.लि./आशुलिपिक डी के पूर्व-संशोधित मान के संदर्भ में 1 जनवरी 2006 से उनके वेतन निर्धारण का विकल्प होगा। वैकल्पिक रूप से, उन्हें संवर्धित वेतनमान अर्थात ₹7450-11500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में पदोन्नति की तिथि से अपने वेतन को निर्धारित करने का विकल्प है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद ने प्रावधानों की गलत व्याख्या की तथा इन मामलों में स्वीकार्य ₹6500-10500 के वेतनमान की गणना करने की बजाय 2 जनवरी 2006 से प्रभावी उन सहायकों/नि.स.के वेतन निर्धारित किए जो 1 जनवरी 2006 को ₹13860 (₹7450 के पूर्व संशोधित मूल वेतन हेतु निर्धारण तालिका के अनुरूप) पर कार्यरत थे।

11 सहायकों/नि.स. के गलत वेतन निर्धारण के कारणवश 01 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2014 के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पद	01.01.06 को मूल वेतन	31.03.14 तक अधिक भुगतान
श्री राज कुमार डोगरा	सहायक	5850	454801
श्री लखन सिंह	सहायक	5850	454801
श्री वी.के प्रसाद	सहायक	5850	454801
श्री राजकुमार जैन	सहायक	6200	448838
श्री अनिल कुमार	सहायक	6200	448838
श्री बिजेन्द्र सिंह	सहायक	6200	448838
श्री बौनी हैरिसन	सहायक	6375	381642
श्री अनुज कुमार	सहायक/अ.अ.	6725	362426
श्री राजीव कुमार	सहायक/अ.अ	6725	362426
श्री रवि भार्गव	नि.स.	6200	449864
सुश्री सरोज भसीन	व.आशुलिपिक	6550	403836
		कुल	**4671111**

परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि सहायकों एवं निजी सहायकों के वेतन निर्धारण के मुद्दे की दोबारा जांच की गई थी तथा आवश्यक सुधार किए गए हैं। इन कर्मचारियों को भविष्य में देय भुगतानों में से अतिरिक्त भुगतान का समायोजन किया जाएगा।

ग. विधि अधिकारी के वेतन का गलत निर्धारण

परिषद ने ₹7600 के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड-3 (₹15,600- ₹39,100) में मई 2011 में एक विधि अधिकारी को नियुक्त किया था। परिषद ने विधि अधिकारी के मूल संगठन को स्वायत्त निकाय के रूप में मानते हुए उसके द्वारा आहरित वेतन को संरक्षण प्रदान किया तथा चयन समिति द्वारा अनुशंसित दो अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति देते हुए प्रतिमाह ₹31,200

(₹7600 के ग्रेड वेतन को छोड़कर) विधि अधिकारी का मूल वेतन निर्धारित किया। उसे प्रथम वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2011 को दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विधि अधिकारी का उपरोक्त वेतन निर्धारण निम्नलिखित कारणों से अनियमित था:

- परिषद के भर्ती नियमों के अनुसार, विधि अधिकारी के चयन का एकमात्र माध्यम निर्दिष्ट वेतन मान में सीधी भर्ती था। किसी पद पर सीधी भर्ती पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए भर्ती नियम किसी प्रकार के प्रावधान प्रदान नहीं करते। हालांकि, चयन समिति प्रारम्भिक नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने में सक्षम नहीं थी।

- विधि अधिकारी द्वारा अपने पूर्व संगठन में आहरित वेतन का संरक्षण भी अनियमति था। का.प्र.वि. ने मार्च 2010 के अपने का.ज्ञा के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार संस्थानों या स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे प्रत्याशियों जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार में सीधी नियुक्ति से हुई है उनके वेतन का संरक्षण निर्धारित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद में उसकी सीधी नियुक्ति से पूर्व, विधि अधिकारी नई दिल्ली में सचिवालय के साथ 47 सदस्य राज्यों के अंतर्सरकारी निकाय, एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन (ए.अ.का.स.सं.) में कार्य कर रहा था। इसलिए यह का.प्र.वि. के का.ज्ञा. में दिए गए रूप में संगठनों अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालय, अर्ध-सरकारी संस्थान या स्वायत्त निकायों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

- 1 जुलाई 2011 से प्रभावी विधि अधिकारी को दी गई प्रथम वेतन वृद्धि अनियमित थी क्योंकि नियमावली के अनुसार वेतन वृद्धि लेने के लिए पात्रता अवधि 1 जुलाई को सेवा के छः माह की सेवा होना है। विधि अधिकारी ने 06 मई 2011 को कार्यभार संभाला तथा इस शर्त को पूरा नहीं करता था।

इस प्रकार, विधि अधिकारी के वेतन के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप मई 2011 से मार्च 2014 के दौरान उसे ₹7,61,145 का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि जुलाई 2011 में विधि अधिकारी को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि के मुद्दे की जांच कर ली गई थी तथा उचित सुधार भी कर लिया गया है। अतिरिक्त भुगतान का समायोजन भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में से कर लिया जाएगा। वेतन संरक्षण के मामले में, परिषद ने आगे बताया कि पूर्व संगठन (ए.अ.का.स.सं.) जहा विधि अधिकारी कार्यरत था, वह अर्ध-सरकारी संगठन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि का.प्र.वि. के का.ज्ञा. में दी गई संगठनों की श्रेणी के अंतर्गत ए.अ.का.स.सं. नहीं आता था।

इस प्रकार, परिषद ने स्थापित नियमावली एवं प्रक्रियाओं को लागू किए बिना अपने कर्मचारियों के वेतन में निरंकुश रूप से वृद्धि की थी।

मंत्रालय को मामला सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दक्षिण क्षेत्र

7.5 स्रोत पर कर की कम कटौती

निजी कम्पनी द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) केन्द्रों द्वारा 10 प्रतिशत की दर पर स्त्रोत पर कर की कटौती न कर पाने के कारण ₹66.34 लाख तक की राशि के कर की कम कटौती हुई थी।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान 194 जे के अनुसार व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर का ऐसे शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर पर कटौती होनी चाहिए।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने के.स.स्वा.यो. दिल्ली में दंत चिकित्सा सेवाओं की आउटर्सोसिंग के उद्देश्य हेतु मैसर्स फॉरसन एक्सियोज टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार, प्राधिकारियों द्वारा कम्पनी को किए गए सारे भुगतानों जैसा लागू हो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त थी।

कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवा प्रकृति में व्यावसायिक एवं तकनीकी थी, इसलिए स्रोत पर कर की कटौती की शर्त थी। के.स.स्वा.यो. (दक्षिण क्षेत्र) के विभिन्न कल्याण केन्द्रों से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित वाउचरों की नमूना जांच से पता चला कि अनुबंध-XIII में दिए गए विवरणों के अनुसार अगस्त 2011 से जून 2013 के बीच कम्पनी को किए गए ₹6.63 करोड़ के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई थी।.

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों तथा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में के.स.स्वा.यो. केन्द्रों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹66.34 लाख तक की राशि के कर की कम कटौती हुई थी। यह संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण के सशक्तिकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जनवरी 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

7.6 एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर अधिक व्यय

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक्स-रे फिल्मों के प्रापण में उचित सचेतना का प्रयोग करने में विफल रहा जो उच्चतर दरों पर उनके प्रापण का कारण बना। अस्पताल ने फरवरी 2011 से अगस्त 2013 के दौरान एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर ₹57.17 लाख का अधिक व्यय किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 150 तथा 160 के अनुसार, सभी सरकारी खरीद पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक तथा स्पष्ट प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कि धन की उत्तम उपयोगिता को प्राप्त किया जा सके। ₹25 लाख अथवा अधिक के अनुमानित मूल्य के माल के प्रापण के मामले में विज्ञापित निविदा पूछताछ की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। सा.वि.नि. का नियम 154 आगे प्रवधान करता है कि एकल स्रोत से प्रापण का सहारा लिया जा सकता है अगर यह उपयोगकर्ता विभाग के संज्ञान में है कि केवल एक विशिष्ट फर्म ही अपेक्षित माल की निर्माता है तथा यह निर्धारित प्रारूप में एक स्वामित्व अनुच्छेद प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

डॉ. रा.म.लो. अस्पताल (अस्पताल) मैसर्स रेजे इमेजिंग एण्ड सिने फिल्मस (प्रा.) लि. (फर्म), कम्पनी का एक प्राधिकृत वितरक, से विभिन्न आकारों (मैसर्स केयरस्ट्रीम हैल्थ इण्डिया (प्रा.लि.) (कम्पनी) की कोडक ड्राई व्यू लेसर इमेजिंग फिल्में (एक्स-रे फिल्मों) का प्रापण कर रहा है। फर्म द्वारा चार विभिन्न आकारों की फिल्मों हेतु फरवरी 2011 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान प्रस्तावित दरें ₹5397.75 से ₹16206.75 (कर सहित) के बीच थीं। फर्म ने यह भी घोषित किया था कि इसके द्वारा प्रस्तुत मूल्य उसके द्वारा किसी निजी अथवा सरकारी खरीदार को उसी प्रकृति/श्रेणी अथवा विवरण के भण्डार हेतु आमतौर पर प्रभारित किए जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं था।

लेखापरीक्षा ने सुनिश्चित किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.) ने कम्पनी जिसने सामग्री की आपूर्ति हेतु मैसर्स कैंट इंडस्ट्रीज एक अन्य प्राधिकृत वितरक को प्राधिकृत किया, के साथ अनुबंध करके (जनवरी 2011) समान मदों का प्रापण कर रहा था। तथापि, मैसर्स कैंट इंडस्ट्रीज द्वारा अ.भा.आ.सं. को चार विभिन्न आकारों की फिल्मों हेतु प्रस्तावित दरें डा.रा.म.लो. अस्पताल को प्रस्तावित दरों से कम थीं जो ₹3728.80 से ₹11185.31 (कर सहित) के बीच थी। परिणामस्वरूप, अस्पताल

ने फरवरी 2011 से अगस्त 2013 के दौरान एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर ₹57.17 लाख का अधिक व्यय कर दिया (विवरण **अनुबंध-XIV** में)।

चूंकि एक्स-रे फिल्म प्रत्येक अस्पताल में उपयोग की जाने वाली एक आम मद है इसलिए अस्पताल को फर्म द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाणपत्र पर विश्वास करने के बजाए उन दरों का पता लगाना चाहिए था जिन पर अन्य अस्पतालों द्वारा मदों का प्रापण किया जा रहा था विशेष रूप से जब कम्पनी के पास एक से अधिक वितरक थे। इस प्रकार, अस्पताल एक्स-रे फिल्मों के प्रापण में मितव्ययों को लागू करने में विफल था जो इनके प्रापण पर अधिक व्यय का कारण बना।

अस्पताल ने अपने उत्तर (सितंबर 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संज्ञान मे ले लिया गया था तथा भविष्य में सभी स्वामित्व मदों को मूल कम्पनी से खरीदा जाएगा तथा इन मदों की खरीद से पहले अन्य अस्पतालों से भी परामर्श किया जाएगा।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।